

पुर्नविज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-816/एस०एफ०सी०एम० सैल, लखनऊ दिनांकित 31.01.2026 के अनुपालन में परिवार न्यायालय, सम्भल स्थित चंदौसी में एक पद पर परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किये जाने हैं, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 102/सात-न्याय-2-2015-728/86 न्याय अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ दिनांकित 18.06.2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

1. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में से स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो, जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो उसे वरीयता दी जायेगी।
2. आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।
3. परामर्शदाता का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष का होगा।
4. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
5. नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत रु. 1,000/- प्रति कार्य दिवस अथवा रु 24,000/- प्रतिमाह जो भी कम हो, का मानदेय देय होगा।

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो, वे अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति सहित दिनांक 28.02.2026 तक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सम्भल स्थित चंदौसी में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।


23/2/2026

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
सम्भल स्थित चंदौसी

परिवार न्यायालय
सम्भल स्थित चंदौसी

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी (नजारत), जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चंदौसी को इस आशय से प्रेषित की वह उक्त आदेश की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चंदौसी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चंदौसी को इस आशय से प्रेषित हो कि वे उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चंदौसी व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
सम्भल स्थित चंदौसी।